

आयुक्त कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

(राजस्व शाखा)

—: अनापत्ति प्रमाण पत्र :—

सरकार के सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक 1900/रा0, दिनांक 06.05.2015 एवं विभागीय संकल्प झापांक 1817/रा0, दिनांक 30.04.2015 के आलोक में 220KV D/C जसीडीह, गिरिडीह ट्रांसमिशन लाइन में उपयोग होने वाले गिरिडीह जिला के लिए चयनित भूमि गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ (जंगल-झाड़ी, जंगल-सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है :-

क्र0	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा	किस्म भूमि
1	बेंगाबाद	गेनरो	101	36	822	0.942	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
2	बेंगाबाद	गेनरो	101	36	1208	0.125	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
3	बेंगाबाद	गेनरो	101	36	1232	1.178	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
4	बेंगाबाद	कुम्हरिया	99	12	71	0.527	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
5	बेंगाबाद	कुम्हरिया	99	12	57	0.404	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
6	बेंगाबाद	कुम्हरिया	99	12	192	0.083	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
7	बेंगाबाद	कुम्हरिया	99	12	215	0.432	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
8	बेंगाबाद	साठिबाद	96	28	732	0.405	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
9	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	64	0.419	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
10	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	91	0.001	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
11	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	569	0.111	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
12	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	573	0.007	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
13	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	581	0.057	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
14	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	585	0.071	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
15	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	322	0.001	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
16	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	762	0.048	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
17	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	676	0.031	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
18	बेंगाबाद	तिलईवाना	379	01	895	0.281	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
19	बेंगाबाद	ताराजोरी	378	09	440	0.416	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
20	बेंगाबाद	चंदियो	75	04	205	0.868	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
21	बेंगाबाद	पिपराटोल	369	02	246	0.157	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
22	बेंगाबाद	पिपराटोल	369	02	261	1.608	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
23	बेंगाबाद	पिपराटोल	369	02	276	1.137	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
24	बेंगाबाद	पिपराटोल	369	02	293	1.095	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
25	बेंगाबाद	पिपराटोल	369	02	294	0.004	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
26	बेंगाबाद	महुआर	17	117	4062	0.049	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
27	बेंगाबाद	महुआर	17	117	4067	0.342	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
28	बेंगाबाद	मन्डाटांड	23	11	275	0.784	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
29	बेंगाबाद	मोतीलदा	56	72	337	0.942	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
30	बेंगाबाद	मोतीलदा	56	72	662	1.732	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी

31	बेंगाबाद	मोतीलेदा	56	72	63	0.266	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
32	बेंगाबाद	मोतीलेदा	56	72	321	0.434	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
33	बेंगाबाद	मोतीलेदा	56	72	3156	2.218	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
34	बेंगाबाद	मोहनपुर	57	04	117	0.069	गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी
G. Total						17.244	

कुल रकवा 17.244 हे० (42.592 ए०) में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बंदोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

ह०/-
जिला कल्याण पदाधिकारी
गिरिडीह

ह०/-
अपर समाहर्ता,
गिरिडीह

ह०/-
उपायुक्त,
गिरिडीह

ह०/-
आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग

ज्ञापांक-39(ख)-02(गिरिडीह)/2018.....1745...../रा०, हजारीबाग, दिनांक.....28.11...../2018

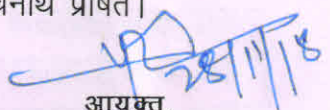
प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प ज्ञापांक 1817/रा०, दिनांक 30.04.2015 में दिए गए निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किए गए Upload संबंधी प्रतिवेदन से विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

प्रतिलिपि :- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत संचरण अंचल, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित।


आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह अंचल के अन्तर्गत 220KV D/C जरीडीह गिरिडीह ट्रॉसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

क्र०	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा	थाना न०	खाता न०	प्लॉट न०	रकवा(हे० में)
1	गिरिडीह	गिरिडीह	पीन्डाटांड	79	02	600	0.140
2	गिरिडीह	गिरिडीह	नावाडीह	75	46	556	0.952
3	गिरिडीह	गिरिडीह	नावाडीह	75	46	558	0.168
4	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	109	70	05	0.238
5	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	109	70	967	1.036
6	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	109	70	1080	1.036
7	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	109	70	1060	0.336
8	गिरिडीह	गिरिडीह	तेलोडीह	109	70	1058	0.630
9	गिरिडीह	गिरिडीह	लोहपिटी	108	97	853	1.857
10	गिरिडीह	गिरिडीह	लोहपिटी	108	97	900	0.084
11	गिरिडीह	गिरिडीह	लोहपिटी	108	97	896	0.421
12	गिरिडीह	गिरिडीह	लोहपिटी	108	97	892	1.439
13	गिरिडीह	गिरिडीह	करहरबारी	194	234	348	0.756
14	गिरिडीह	गिरिडीह	पाण्डेडीह	107	18	282	0.283
कुल:-							9.376

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी कुल रकवा 9.376 हे० में सन्नहित है। तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर हैं, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि का हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा गैरमजरूआ जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

ETM

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 13.6.18 दिनांक 29 / 10 / 2018

प्रतिलिपि: विधुत अधीक्षण अभियन्ता, संचरण अंचल हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड सरकार राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 प्रतिलिपि: जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एन.आई.सी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 कृपया जिला के Website पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

5/10

उपायुक्त, गिरिडीह।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर।

(जिला राजस्व कार्यालय)

दूरभाष संख्या :- (06432-232730)

ई-मेल:- (acdeoghar2010@gmail.com)

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

देवघर जिला के देवघर, देवीपुर एवं मधुपुर अंचल अंतर्गत 220 के0वी0 जसीडीह से गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि) भूमि जो निम्नवत् है:-

SL. NO.	NAME OF ANCHAL	NAME OF VILLAGE	THANA NO.	KHATA NO.	PLOT NO.	AREA OF GM (JJ) IN HECTARE
1	DEOGHAR	KODADIH	28	37	549	0.0393
					355	0.1670
2	DEVIPUR	KENDUA	169	62	891	0.2630
3		CHITARPUR	91	30	956	0.3180
					257	0.0130
4		PHUTABANDH	90	21	68	0.0050
5		KHIRUADIH	56	20	37	0.1070
					21	0.2560
6		MURATARI	31	8	40(PI)	1.3728
					40(PII)	0.4531
					40(PIII)	0.2909
7		BAGHIMARA	59	2	65	0.3624
8		LAMBA	27	39	589	0.4510
9		PINDARI	22	29	188	0.4470
10	MADHUPUR	MOHANADIH	72	8	16	0.0220
					3	0.0030
Total						4.5705

किस्म भूमि जंगल-झाड़ी में कुल रकबा 4.5705 हे0 में सन्निहित है, तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तांतरण हेतु प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोवस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जाएगा।

अपर समाहर्ता

देवघर

ज्ञापांक 2454/रा0, देवघर, दिनांक 08-05-18

प्रतिलिपि : विद्युत अधीक्षण अभियंता, झारखण्ड उर्जा संचरण लिमिटेड, संचरण अंचल देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन प्रमण्डल देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सचिव, उर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, संधाल परगना प्रमण्डल, दुमका, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

अपर समाहर्ता

देवघर

उपायुक्त,
देवघर।

उपायुक्त,
देवघर।